भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-30
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

साक्षरता के संशोधित मानदंड

†30. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में साक्षरता के मानदंडों में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(ग) क्या सरकार ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, विशेषकर कम साक्षरता दर वाले राज्यों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ड.) क्या सरकार ने देश में साक्षरता दर में पिछड़ रहे राज्यों के लिए कोई विशेष योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में साक्षरता की परिभाषा इस प्रकार है:

"साक्षरता वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने में सक्षम हो, अर्थात पहचानना, समझना, व्याख्या करना और सृजन करना, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में दक्ष हो।"

यह परिभाषा यूनेस्को द्वारा दी गई 'साक्षरता' की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 21.4 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि:

"समुदाय की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ एवं नवाचारी सरकारी पहलों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100 प्रतिशत साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति शीघ्र हो सके।

भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के निरक्षरों में साक्षरता को प्रोत्साहित करने में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना है और यह 15 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी लोगों को लक्षित करती है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। भारत सरकार ने प्रगति का मूल्यांकन करने, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की कार्यान्वयन कार्यनीतियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लिखित संवाद, क्षेत्रीय सम्मेलनों, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और समीक्षा बैठकों के माध्यम से निरंतर सहयोग किया है।

35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उल्लास को कार्यान्वित कर रहे हैं और अब तक 1.7 करोड़ शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (एफ़एलएनएटी) में शामिल हो चुके हैं। उल्लास - नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा, पूर्णत: साक्षर हो गए हैं।

*****